सोनवाल कि सत्र कार्य-सदन शाखा-अविलम्बनीय े(स्रामार्ल्य) तुरन्त जारी हो। from immed किस नं.- 0141-2744333/2744334 दुरमाष नं.- 2744326 2744301/110 अ शा. पत्रांक : एफ.२(1)सदन/विस/२०११/ ५०६४६ ८५ No see that the second is a training in ्रवियपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2011 # END TO THE विषय:- बेंद्रानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-23) को राज्य में अंगीकृत करने के संबंध में सदन द्वारा पारित किये गये शासकीय संकल्प बाबत्। अधिक पत्र केमांकः प.16(5)चिस्वा/2/99 दिनाक 9 अगस्त, 2011 के संदर्भ में विकास निवेदन हैं कि राजस्थान विधान सभा की दिनांक 29 अगस्त,2011 को सदन क अधिनियम, २०१० (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, २०१० (२०१० का कर वासकीय संकल्प पारित म् अधिकार्थास्त्रकार्थास्त्रकार्थास्त्रकार्थास्त्रकार्थाः स्वत्रकार्थाः स्वत्रकार्थाः स्वत्रकार्थाः स्वत्रकार् सदभावी, Carrier States (सीताराम सोनवाल)

प्रमुख शासन सनिव

चिकित्सा स्वाह्म द्वाह्म छ विभाग,

राजस्थात सरकार वस्पूर ।

MARTIN PERSON

estative Assembly considers that it is sughout India for the registration and as in the country and for matters therefor:

exist has no power to make laws for the except as provided in Articles

nave been passed by all the House of the ses of Armachal Pradesh, Himachal Pradesh, the the the that matters aforesaid should be by Parliament by law:

the Chincal Establishments (Registration and 1909) (Central Actano: 23 of 2010) extends in the first each of the State of Arunachat Praces, Himachal and Sikkim and the Union territories;

EAS, the said Act shall apply to such other States as and Act by resolution passed in that belief in pursuance as a section of the Constitution;

LEREAS, it appears to the Rajasthan Legislative Assembly to that the Clinical Establishments (Registration and 2, 2010 (Central Act No. 23 of 2010) should be adopted in a gasthan;

HEREFORE, in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Reastkan Legislative Assembly hereby resolves that the Dishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central 2010) be adopted in the State of Rajasthan.

अधिममानि व

क्रिक्ट कर्मा अस्टिम (संस्था) अस्टिम क्रिक्टमा

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा / 2 / 99pt

Jaipur, Dated:

- 5 JUN 2013

NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 10 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the District Registering Authority for each district consisting of the following, namely:-

1. District Collector

- Chairperson

2. Chief Medical & Health Officer

- Convener

3. Superintendent of Police or it's Representative

- Member

not below Deputy Superintendent

4. One Member of Local Self Government

- Member

to be selected by Chief Medical and Health Officer

5. One Member Professional Association

- Member

to be selected by Chief Medical and Health Officer

By order of the Governor,

(Alpa Chaudhary)
Deputy Secretary to the
चिकित्सा एर्ट भ्रह्मास्था हुग्रं-2) विभाग

शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा / 2 / 99**pt**

जयपुर, दिनांकः 🚈 5 JUN 2013

. अधिसूचना

जी.एस.आर.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का इसके द्वारा, गठन करती है, अर्थात् :—

	—अध्यक्ष
1. जिला कलक्टर	
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संयोजक
3. पुलिस अधीक्षक या उसकी प्रतिनिधि जो	
उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो	–सदस्य
4. स्थानीय स्वशासन का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा	
एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये	–सदस्य
5. वृत्तिक संगम का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा एवं	
स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये	-सदस्य

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी) उप्गासनराज सबिम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा/2/99pt

Jaipur, Dated: - 5 JUN 2013

NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 8 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the Rajasthan Sate Council for Clinical Establishments consisting of the following, namely:

	G	-Chairman
1.	Secretary Health-ex officio	-Member
2.	Director (Public Health) of Health Services- ex officio	Secretary
3.4.5.6.	Director of Ayurveda Department - ex officio Director of Homeopathic Department - ex officio Director of Unani Department - ex officio One representative each to be elected by	-Member -Member -Member
	the Executive Committee of: (i) Rajasthan Medical Council (ii) Rajasthan Dental Council (iii) Rajasthan Nursing Council (iv) Rajasthan Pharmacy Council	-Member -Member -Member -Member
7.	One representative each to be elected by the Executive Committee of: (i) Rajasthan Ayurveda, Council (ii) Rajasthan Sidha, Council (iii) Rajasthan Unani, Council	-Member -Member -Member

8. One representation to be elected by
the State Council of the Indian Medical Association.

9. One representative from the line of paramedical systems nominated by the State Government.

-Member

- 10. Two representatives from State level consumer group or reputed -Member non government organization working in the field of health nominated by the State Government.
- Note: (i) The nominated member of the State council shall hold office for a term of three years, but shall be eligible for re-nomination for maximum of one more term of three years.
 - (ii) The elected member of the State Council shall hold office for three years but shall be eligible for re-election.

By order of the Governor,

(Alpa Cheudhary)

Deputy Secretary to the Hod vernment चिकित्सा एवं स्वारथ्य (गुप-2) विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा / 2 / 99**pt**

जयपुर, दिनांकः

- 5 JUN 2013

अधिसूचना

ज़ी.एस.आर.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राजस्थान राज्य नैदानिक स्थापन परिषद का इसके द्वारा गठन करती है, अर्थात् :—

	·	
1.	राचिव, स्वास्थ्य—पदेन	–अध्यक्ष
2.	निदेशक (लोक स्वास्थ्य) स्वास्थ्य सेवाएं-पदेन	-सदस्य सचिव
3.	निदेशक, आयुर्वेद विभाग–पदेन	सदस्य
4.	निदेशक, होम्योपैथिक विभाग-पदेन	-सदस्य
5.	निदेशक, यूनानी विभाग–पदेन	–सदस्य
6.	निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित	
	किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:-	
	(i) राजस्थान चिकित्सा परिषद्	-सदस्य
	(ii) राज्य दन्त चिकित्सा परिषद्	–सदस्य
	(iii) राजस्थान नर्स परिषद्	-सदस्य
	(iv) राजस्थान भेषजी परिषद्	–सदस्य
7.	निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित	
	किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:	
	(i) राजस्थान आर्युवेद परिषद्	-सदस्य
	(ii) राजस्थान सिद्ध परिषद्	सदस्य
	(iii) राजस्थान यूनानी परिषद्	–सदस्य

 भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि

-संदर्य

9. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट परा–चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि

-सदस्य

10. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर—सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि

-सदस्य

टिप्पण :

- (i) राज्य परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, किन्तु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा।
- (ii) राज्य परिषद् का निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह पुननिर्वाचन के लिये पात्र होगा।

राज्यपाल के आदेश से.

(अल्पा चौधरी) उप शासन सचिव शासन उप सचिव शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान राज-पन	RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक	KAJASTHAN GAZETTE
साधिकार प्रकाशित	
	Publich IC
ज्येष्ठ १६. गुरुवार	711(6 1006
Juistha 16 ar.	पाप 1935—जून 6, 2013
Thursday	Saka 1935-June 6, 2013

ंभाग 4 (ग) उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्भिलिल करते हुए) सामान्य कानूनी नियम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 5, 2013 जी.एस.आर. 16 :- नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) ाधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गच्चे गरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम वनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम 2013 青月

(2)

- परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ सं अन्यथा अपेक्षित न हो.—
 - "अधिनियम" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम. 2010 अभिप्रेत है:
 - "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं; (ख)
 - "अनुसूची" सं इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, (η)
 - "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं। (ঘ)
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होना जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।
- राज्य परिषद् के कारबार का संचालन (1) धारा 8 के अधीत मिकिता राज्य परिपद्ध की प्रत्येक दुनक की अध्यक्षता अध्यक्ष हारा की
- ् (२) राज्य परिषद् की बैठकें, ऐसी तारीखों पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जायें सामान्यतः जयपुर में आयोजित की जायेंगी। राज्य परिषद् तीन मास में कम रंग कम एक बार वैठक करेगी।

(3) राज्य परिषद् की प्रत्येक वैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतः बैठक के सात दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।

(4) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, किसी भी समय, सामान्यतः तीन दिन से अन्यून की अल्पतम सूचना पर राज्य परिषद् की विशेष बैठक बुला सकेगा। (5) राज्य परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई गणपूर्ति करेगा और राज्य अरेषद् की समस्त कार्रवाइयां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

(6) राज्य परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

(7) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के सात दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, भेजी जायेगी। यदि उनकी शुद्धता के यह में दस दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो उसमें से किन्हीं भी विनिश्चिया को कार्याचित किया जायेगा।

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कारबार का संचालन.— (1) धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण की प्रत्यंक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतः बैठक के सात दिन पूर्व, संयोजक द्वारा प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।

(3) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, किसी भी समय, सामान्यतः तीन दिन सं अन्यून की अल्पतम सूचना पर प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(4) प्राधिकरण के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई गणपूर्ति करेगा और प्राधिकरण की समस्त कार्रवाइयां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

(5) प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा अधिप्रभाणित की जायेंगी।

(6) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के सात दिन के भीतर, संयोजक द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उरावः द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने के पश्चात, बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेंगी। यदि उनकी शुद्धता के वारे में दस दिन के भीतर कोई जाशा प्राप्त नहीं के हैं है कि लो भी विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जायेगा।

5. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण – (1) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेव आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ, प्ररूप-1 में, धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, अनंतिम रिजस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की कालाविध के भीतर प्रक्रप–2 में अनंतिम रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक को अनुदत्त करेगा।

(3) प्राधिकरण, अनंतिम रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के पैंतालीस दिन की कालाविध के भीतर, दो स्थानीय समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसप्रकार अनंतिम रूप से रिजस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां जिसमें नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धित, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स इत्यादि) के व्योरे सम्मिलित हैं, प्रकाशित करेगा।

6. स्थायी रिजस्ट्रीकरण.— (1) स्थायी रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेव आधारित ऑनलाइन सुविधा के प्राध्यम से. अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप—3 में, आवश्यक जानकारी भर कर और नैदानिक स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानकों और कार्मिकों की अपेक्षाएं रखने वाले साक्य के साथ धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जायेगा।

- (2) जैसे ही नैदानिक स्थापन विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किये जाने के अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करता है. प्राधिकरण तीस दिन की कालाविध के भीतर जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए, दो स्थानीय समाचार पत्रों में और प्राधिकरण की वेव साइट पर प्ररूप-4 में सूचना प्रकाशित करेगा। ऐसी सूचना में नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धित, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स, इत्यादि) के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।
- (3) यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन के संबंध में प्रकाशित सूचना पर कोई आक्षेप है तो वह प्राधिकरण को लिखित में कारण और आक्षेप ≱या अनन्पालन के साक्ष्य देगा।

(4) प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन को प्राप्त आक्षेपों को, यदि कोई हों, पैतालीस दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर के लिए संसूचित करेगा।

7. सेवाओं के एक से अधिक प्रवर्ग के लिए आवेदन— यदि नैदानिक रथापन, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यथा—वर्गीकृत एक से अधिक प्रवर्ग में सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है तो वह नैदानिक रथापन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के प्रत्येक प्रवर्ग हो दिए पृथक अधिक प्रवर्ग करायी जा रही सेवाओं के प्रत्येक प्रवर्ग हो दिए पृथक अधिक प्रवर्ग करायी जा रही सेवाओं के प्रत्येक करेगा। तथापि, यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देख—रेख जपलब्ध करा रहे किसी नैदानिक केन्द्र का भाग है तो उसके लिए कोई पृथक रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

8. आदेवन की अभिस्वीकृति.— धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी, प्ररूप-5 में अभिस्वीकृति पर्ची में उसी दिन, यदि व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाये या अगले कार्य दिवस के अपश्चात्, यदि डाक द्वारा प्राप्त हो, अनंतिम/स्थायी रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त / नवीकरण करने के लिए आवेदन की अभिस्वीकृति रसीद देगा और ऑनलाइन आवेदन की दशा में अभिस्वीकृति प्रणाली द्वारा स्वतः जनित की जायेगी।

9. रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र.— (1) प्राधिकरण अपना यह समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन को चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों और कार्मिकों के उपबन्धों को सम्मितित करते हुए समस्त अपेक्षाओं और मानदण्डों का अनुपालन कर लिया है, आवेदक को या तो डाक से या इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप-6 में स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा ।

(2) रथायी रजिस्ट्रीकरण की दशा में प्राधिकरण अधिनियम की धारा 29 ते अधीन अनुज्ञात कालावधि के भीतर –

(क) खादी रिजरट्रीकरण के लिए आवेदन को मंजूर करने; या

(ख) आवेदन को नामंजूर करने

का आदेश पारित करेगाः

परन्तु प्राधिकरण यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवंदन को नामंजूर करता है तो अपने न्यायोचित्यों और कारणों को अगिलिखित

10. समाप्त रजिस्ट्रीकरण का प्रदर्शन.— प्राधिकरण, पन्द्रहः दिन की कालाविध के भीतर उस नैदानिक स्थापन, जिसका अनंतिम या, यथास्थिति. रथायी रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है, का नाम दो स्थानीय समाचारपनों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

.1. प्रभारित की जाने वाली फीस — (1) अनंतिम और स्थापी रिहारक्षीकरण, नवीकरण, विलिम्बत आवेदन, ग्रमाणपत्र की पूरारी प्रति, रथापन के स्वामित्व, प्रबंध या नाम के परिवर्तन के लिए ऐसी विभिन्न फीरो प्रभारित की जायेंगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) सरकार (केन्द्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी) या सरकार के विभाग द्वारा खामित्वाधीन, नियंत्रित और ग्रवंधित नैदानिक खागन उप-नियम (१) . में यशा-वर्णित फीस के संदाय से छूट-प्राप्त होंगे।

(3) फील उाधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) या. यथारिथाले. भार 24 के अधीन यथा—विनिर्दिष्ट सम्बन्धित पाधिकरण के पक्ष ें अहति। मांगचेंग ड्राफ्ट या आनलाइन संव्यवहार द्वारा संदत्त की जायेगी।

12. स्थामित्व या प्रबंध में परिवर्तन.— रपामित्व या प्रवध के किसी परिवर्तन की दशा में नैदानिक स्थापन अनुसूरी में यथा-विनिदिंग्ट कील और प्रमाणपत्र के साथ अनंतिम या. यथारिथति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण का पुनरीक्षित प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए. ऐसे परिवर्तन के एक फास क

भीतर परिवर्तनी को लिस्सिति करते हुए, लिखिन में क्रांनिक कर के सूचित

13. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति.— अनंतिम या, यथास्थिति, रथायी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या उसकी क्षति हो जाने की दशा में नैदानिक स्थापन, अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

14. रिजरतीक्यण का नवीकरण.— (1) नैदानिक स्थापन, अनंतिम-रिजरद्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व अनंतिम रिजस्द्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि नियत कालावधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण, अनुसूची में यथा—विनिर्विष्ट नवीकरण फीस और विलंब फीस के संदाय पर रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए अनुज्ञात करेगा। (2) नैदानिक स्थापन, स्थायी रिजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के समाप्ति से छह मास पूर्व स्थायी रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण, अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस और विलंब फीस के संदाय पर रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए अनुज्ञात करेगा।

15. नैदानिक स्थापनों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वालीं सूचना.— (1) नैदानिक स्थापन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपचारित मरीजों के चिकित्सा अभिलेख और स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और आंकड़े संधारित करेगा और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। संधारित किये जाने वाले न्यूनतम चिकित्सा अभिलेख और नैदानिक स्थापनों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना की प्रकृति राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विकसित रूपविधानों के अनुसार होगी।

(2) समस्त अभिलेखों और आंकड़ों की प्रतियां संबंधित नैदानिक स्थापनों हारा कम से कम तीन वर्ष के लिए या किसी अन्य सुसंगत विधि के अनुसरण में रखी जायेंगी। समस्त नैदानिक स्थापन आपात या आपदा दा गर्झमारी की स्थिति में सूचना या आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अन्य बीमारी को सिम्मिलित करते हुए सूचना की प्रकृति, जो नेदानिक स्थापनों द्वारा विहित अन्तराल पर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, सगय-सगय पर अधिसूचित कर सकेगी।

16. प्रवेश करने की शक्ति.— (1) नैदानिक रथापन में प्रवेश और उसकी तलाशी प्राधिकरण या उसक द्वारा सम्थक रूप स प्राधकृत किसा अधिकारी या दल द्वारा या प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए की जा सकेगी!

(2) नैदानिक स्थापनों में ऐसा प्रवेश और तलाशी ली जा सकंगी यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चला रहा है या विहित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा है या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि नैदानिक स्थापन का उपयोग उन प्रयोजनों जिनके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है. से भित्र के लिए किया जा रहा है या इस अधिनियम और नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो रहा है।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी या दल नैदानिक स्थापन को लिखित में निरीक्षण की तारीख और निरीक्षण के कारणों से सूचित करेगा और समस्त अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, नैदानिक स्थापन के लिए उपयोग में लिए जा रहे या उपयोग में लिए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर का परीक्षण करेगा और उपस्करों, फर्नीचर और अन्य उपसाधनों का निरीक्षण करेगा और नियोजित या नियोजित कियू जाने वाले तकनीकी कर्मचारिवृन्द की वृत्तिक अर्हताओं की जांच करे और ऐसी कोई अन्य जांच करेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन में किये गये कथनों को सत्यापित करने के लिए है आवश्यक समझे।

(4) निरीक्षण अधिकारी या, यथारिधाति, निरीक्षण दल निरीक्षण के सात थिन की कालावधि के भीतर, प्ररूप-8 में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो वह निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप-7 में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत

17. शास्ति.— अधिनियम के अधीन धनीय शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण जांच करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। कोई जांच करते समय प्राधिकरण भामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए जपयोगी हो या उसकी विषय—वस्तु से सुसंगत हो, समन करेगा औं हाजिर करायेगा और यदि ऐसी जांच पर प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है और धनीय शास्ति का दायी है तो वह आदेश द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

18. अपीलं – (1) प्राधिकरण के –

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त या नवीकृत करने से (i)र्वेषकर करण या राजरहोपरच प्रभावपत्र की प्रतिरहस्य करने वालं आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट फीस के साथ, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख सं तीस दिन कं भीतर. राज्य परिपद को प्ररूप-8 में अपील फाइल कर सकेगा।

ये गानि वे

त है है

गा। 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013

27(7)

- ii) धारा 41 या 42 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस के साथ उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप—8 में कोई अपील फाइल कर सकेगा।
- (2) अपील प्राप्त होने के पश्चात् राज्य परिषद् सुनवाई के लिए समय और लारीख नियत करेगी और मामले की सुनवाई के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का समय देते हुए रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा अपीलार्थी और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित करेगी।

(3) अपीलार्थी स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति या किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा और अपील के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजी सामुग्री, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकेगा।

- (4) राज्य परिषद् समस्त संबंधित व्यक्तियों को मुनेगी, उनके द्वारा प्रस्तुत सुसंगत मौखिक / दस्तावेजी साक्ष्य ग्रहण करेगी, अपील पर विचार करेगी और अधिमानतः अपील फाइल करने की तारीख से 90 दिन के भीतर अपने विनिश्चय रो संस्थित करेगी।
- (5) यदि राज्य परिषद् का यह विचार है कि मामले में कोई अंतरिंग आदेश आवश्यक है तो यह अभील के अंतिम निस्तारण के लंबित रहते हुए ऐसा आवेश पारित कर सकेगी।
- (6) राज्य परिषद् के विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होंगे।

प्ररूप−1 (नियम 5 देखिए)

नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

1. स्थापन / डॉक्टर का नाम (एकल व्यवसायी की	दशा में)
2. प्रता :	
गांव / नगर	
तालुका :जिला : _	
राज्य :पिन कोर	
दूरभाष सं (एसटीडी कोड के साथ) :	मोबाइल
वेबसाइट (यदि कोई हो):	
3. स्वामी का नाम :	
पता :	4 1 11 1 1
गांव/नगर :	

	27(8) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (१
	तालुका : भाग ४ (७
	A ,
	दूरभाष सं (एसटीडी कोड के साथ) : मोबाइल :
	3 के भागमात्रक क
	3 क. भारसाधक व्यवित का नाम और अर्हताएं : 4: स्वामित्व
	(क) पब्लिक सेतन्त्र 🗖 🥽
	स्थानीय शासन 🔲 पब्लिक सेक्टर उपक्रम 🔲 अन्य कोई (कृपया
	विनिर्दिष्ट करें):
	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	☐ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी ☐ सहकारी सोसाइटी ☐ न्यास ☐ पूर्त 5. औषध की नाजार
	🗆 ऐलोपैथी 🔲 आयुर्वेद 问 प्राप्ति चस पर चिहन लगाए) :
	्रिलोपेथी □ आयुर्वेद □ यूनानी □ सिद्ध □ होम्योपेथी □ अपुर्वेद □ यूनानी □ सिद्ध □ होम्योपेथी □ 6. उपलब्ध करवारी स्रार्कित स्रोकित्सा
	6. उपलब्ध करवायी गयी सेवाएं : (जो लागू हों उस पर चिहन लगाएं)
	्र अंतरंग रोगी □ बाह्य रोगी □ प्रयोगशाला □ इमेजिंग केन्द्र
	☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
	बह विशेषता 🗍 🚃 🔾 सामान्य 🗍 एकल विशेष्ट 🗖
	19191 (b) Tiletti . (-)
	(क) अंतरंग रोगी : ☐ अस्पताल ☐ परिचर्या गृह ☐ प्रसूति गृह ☐
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 🔲 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 🗍 🧎 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 🗍 🏲
	सेनिटोरियम 🗍 डे केयर सेन्टर (ख) बिस्तरों की संख्या :
	(ग) बाह्य रोगी 🗇
	(ग) बाह्य रोगी : एकल व्यवसायी 🗖 पॉलीविलनिक 🗍 उप-केन्द्र पिजियोथेरेपी विलनिक 🗖 व्यावसायिक चिकित्सा 🗖 बॉझपन
	विलानक 🗎 दन्त विलिनिक 🗖 और 🗂 वाँझपन
	ा अस को ह
	(ध) प्रयोगशालाः 🗍 निष्
	(घ) प्रयोगशाला : ि विकृति विज्ञान ि रूधिर विज्ञान ि जैव
	केन्द्र 🗌 अन्य कोई (कापण ६०००)
1	केन्द्र 🗌 अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
	र जा ।पानाद स्ट कर :

ř

भाः	4 (1)	राजस्थान	राज	<u> </u>	ô.	2013
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

27/9

विशेष निदान : कृपया विनिर्दिष्ट करें :

में इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा।

दिनांक और रथान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप–2 (नियम 5 देखिए)

नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र

अनंतिम प्रमाणपत्र सं. : (कम्प्यूटर जनित) जारी करने की तारीख : (कम्प्यूटर जनित)

		ਰ	क	गाः	य :	(देत	् ग्ट्युट	- 7	जनि	A
1.	नैदानिक स्थापन का नाम : -				•		ኢ	•	0,,,,	١,
2.	पता :				-					
3.	नैदानिक स्थापन का स्वामी :									-
4.	भारसाधक व्यक्ति का नाम : _								:	
5	औषध की पद्धति :				٠.					-
6.	स्थापन का प्रकार :									-

को, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन इसके द्वारा, अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा–विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

> जारी करने वाल प्राधिकारी क हस्ताक्षर और पदनाम (कम्प्यूटर जनित) स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित)

27(10) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (ग् जिला रजिस्द्रीकरण प्राधिकारी पता : शिकायत की दशा में दूरमाष संख्यांक
प्रकप-3 (नियम 6 देखिए) नैदानिक स्थापनों के स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए अलेखन प्रकप अनंतिम रजिस्ट्रीकरण सं. : अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने की दिनांक :
तक विधिमान्य
 स्थापन / डॉक्टर का नाम (एकल व्यवसायी की दशा में) :
114/ 1118:
तालुका : जिला :
राज्य : पिन कोड :
दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : वेबसाइट (यदि कोई हो) :
3. स्वामी का नाम :
पता :
गांव/नगर:
गांव / नगर : जिला : जिला :) राज्य : जिला :
राज्य : पिन कोड :
तूरभाष सं. (एसटीडी कोंड के साथ) : मोबाइल : ई—मेल पता :
3 क. भारसाधक व्यक्ति का नाग और अर्हलाएं
4. स्वामित्व
(क) पब्लिक सेक्टर : ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ स्थानीय शासन ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट
नगर (१७४४) विनिद्ध

1777 (/TT)
भाग ४ (ग) राजस्थान राज-पत्र, जून ६, २०१३ ८/(११)
करें) :
(ख) प्राइवेट सेक्टर : 🗖 व्यक्तिगत स्वामित्व 🗀
राजस्ट्राकृत भागीदारी 🗍 रिजस्टीकृत ऋगारी 🦱
सहकारी सोसाइटी 🗖 न्यास/पूर्त 🗖 अन्य कोई
(कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
5. औषध की उपलब्ध पद्धतियां : (जो लागू हों उस पर चिह्न लगाएं) :
🗆 ऐलोपैथी 🔲 आयुर्वेद 🚨 यूनानी 🗖 सिद्ध 🗖
राज्याच्या 🗀 याग आर पाळावळ जिकेन्त
. b. ७५लब्ब करवाया गया सवाएं : जि लग हो उन्ह एवं हिन्स
(1918)
🔲 अंतरंग रोगी 🔲 बाह्य रोगी 🔲 प्रयोगशाला/इमेजिंग
केन्द्र 🗆 कोई अन्य (कृपया च्रिनिर्दिष्ट करें) :
(क) नैदानिक सेवाओं का प्रवृत्त : 🗆 सामान्य 🗅
एकल विशेषता 🗖 बहु विशेषता 🗖 सुपर विशेषता
7. स्थापन का प्रकार : (जो लागू हो उस पर चिहन लगाए)
(क) अंतरंग रोगी : 🗖 अस्पताल 🗖 परिचर्या गृह 🗖
प्रसूति गृह 🛘 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 🗍
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 🛘 सेनेटोरियम 🗖 डे
केयर सेन्टर
(ख) बिस्तरों की संख्या :
(ग) बाह्य रोगी : 🛮 एकल व्यवसायी 🗖
पॉलीविलनिक 🔲 उप-केन्द्र 🔲 फिजियोथैरेपी
क्लिनिक 🔲 व्यावसायिक चिकित्सा 🔲 बाँझपन
विलनिक 🔲 दन्त विलनिक 🔲 औषधालय 🗍
डायलिसिस केन्द्र 🔲 अन्य कोई (कृपया
विनिर्दिष्ट करें):
(घ) प्रयोगशाला : 🗌 विकृति विज्ञान 🗖 रूधिर
विज्ञातः 🔲 जैव रसायन विज्ञान 🛮
. सुक्ष्म-जीवविज्ञान 🔲 आनुवंशिकी 🗖 संग्रहण
कन्द 🛘 अन्य काइ (कृपया विनिदिष्ट कर)
(ङ) इमेजिंग केन्द्र कृपया विनिर्दिष्ट करें :
विशेष निदान : कृपया विनिर्दिष्ट करें :

(表表)とい

राजस्थान राज-पत्र, जून ६, २०१३ में इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा। विस्तृत सूचना :--अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी कंरने के पश्चात् निरीक्षण दल हारा कोई शिकायत और प्रतिकूल रिपोर्ट। संलग्न : अनंतिम रिजस्ट्रीकरण की फोटो प्रति दिनांक और स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्वा के हस्ताक्षर प्ररूप-4 (नियम 6 देखिए) आक्षेप फाइलं करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रारिथति का संप्रदर्शन सूचना ₹-2: ि ųť नैदानिक रथापनं (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन प्राधिकारी होते हुए, धारा 24 के या अधीन दिनांकसे.....तक की कालाविध के दौरान 37 प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण **H**-और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने राजस्थान सरकार नदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 के उपबन्धों नैदानिक स्थापनों की सूची, इसके द्वारा प्रकाशित करता हूं --क्रम नैदानिक ₹! स्वामित्व / प्रभारी औषध सं. | स्थापन का दिनांक प्रवर्ग की जिसको नाग और अनुपालन पदति आवेदन 1167 गरो परत्त भागतः किया चया

उपर्युक्त सूची कं सम्बन्ध में आक्षेप यदि कोई हो अधिनियम की धारा 26 के अधीन यथा-अपेक्षित इस सूचना की तारीख से 30 दिन के गीतर

भ

ला

सम

19-1 दिः

राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (ग) 27(13) लिखित में दो प्रतियों में......(प्राधिकारी का पता)को सम्बोधित किये जा सकेंगे। स्थान: हरताक्षर: दिनांक : नाम : (प्राधिकारी की मुहर) प्ररूप–5 (नियम 8 देखिए) अभिप्रवीकृति नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांकको....(स्वामी का नाम और पता)इारा प्रस्तुत नैदानिक रथापन अनुदत्त करने / अनंतिम / स्थायी रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप.....में आवेदन प्राप्त किया गया तथा . વૂર્ણ था अपूर्ण पाया गया। यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है। रिजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम ं जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित) मुहर रथान और तारीख (कम्प्यूटर जनित) प्ररूप-6 (नियम 6 देखिए) नैदानिक स्थापन के रिजस्ट्रीकरण के लिए स्थायी प्रमाणपत्र स्थायी रजिस्ट्रीकरण सं : (कम्प्यूटर जनित) जारी करने की तारीख : (कम्प्टूटर जनित) तक विधिमान्य : (कम्प्यूटर जनित)

	27(14) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (ग	
	, पानक स्थापन का नाम : _)
	र पताः	
	3. नैदानिक स्थापन का स्वामी :	
	4. भारसाधक व्यक्ति का नाम	
	5. औषध की पद्धति :	
	को, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन), अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन हम्मदे	•
	यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियम्भ) अधिनियम, 2010 और तद्धीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।	:
रथान	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर आर पदनाम (कम्प्यूटर जिनत) और तारीख (कम्प्यूटर जिनत) पुहर	The state of the state of the state of
।जला पताः	रजिस्द्रीकरण प्राधिकारी	

प्ररूप-7 (नियम 16 देखिए) निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये रूपविधान

तारीखों के साथ किये गये निरीक्षणों की संख्या निरीक्षण दल के रादरयों के नाम और व्योरे निरीक्षण कियं गयं नैदानिक रथापन का नाम निरीक्षण किये गये गैदानिक स्थापन का पता और संपर्क व्योरे निरीक्षण के लिये अनुसारण की गयी प्रक्रिया (यथा कृपया वताये किसके हामा नंत्रक किया गमा क्वेंन के भंगिनेकों मुल-गरीक्षण किया गमा इत्साहि) प्रमुख संप्रेक्षण / जांच परिणाम निष्कर्ष विनिर्दिध्ट सिफारिशे

- नैदानिक स्थापन को (1)
- जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को (2)

शिकायत की दशा में दूरभाष संख्यांक

(17) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 * निरीक्षण दल के सदस्यों के बीच मतैक्य की कभी की दशा में, कृपया इसे उपदर्शित करें। (निरीक्षण दल में समस्त सदस्यों के) 2010 दिनांक : थायी स्थान : मन) प्ररूप-8 i À (नियम 18 देखिए) अपील के लिए आवेदन के सेवामें. ਜ) राज्य परिषदसरकार महोदय. चे नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन मेरे......स्थित...... के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया था/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संका धारक हूं। मुझे जिला प्राधिकारी के पत्र संदिनांक..... के द्वारा स्चित किया गया था कि : कि मेरा आवेदन अरवीकृत कर दिया गया है; या (i) कि मेरा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया. है, या (ii)**و** कि मुझे नैदानिक रथापन के चलारो जाने से अक्टबर कर विजा (iii) कि मुझे अधिनियम के अधीन अपराध के लिये शास्ति सं आसीविन (iv)किया गया है; या अन्य कोई..... जिला प्राधिकरण का उपरोक्त विनिश्चय विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नीचे वर्णित न्यायोचित्यों के अनुसार मेरे आवेदन पर विचार किया जाये

27(16) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 में व्यक्तिगत सुनवाई, यदि आवश्यक हो, के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिये रजामन्द हूं। मैं इसके साथ रू. 5000/- का ज्ञापट संलग्न

स्थान : दिनांक 🚃

धन्यवाद, हस्ताक्षर: नाम :

अनुसूची (नियम 11 देखिए) प्रमारित की जाने वाली फीस

·			ं पाला प	ास		
विवरण	अनंति	नगरीय म ^{्स्था} यी		ामीण		: हानगर 🎢
बाह्य रोगी देखरेख	100	500	//()	. (-1)41	अनंतिग	न रथायी
अंतरंग रोगी देखरेख		,	50	250	200	1000
1 से 30 विस्तर 30 से 100 विस्तर 100 विस्तरों से अधिक जांच और निदान	100 200 300	500 1000 1500	50 100 150	250 500 650	200 400 600	1000 2000 3000
प्रयोगशाला नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र अन्य फीसें : ' (i) नवीकरण के ह	200 300	1000 1500	100 150	0=-		2000 3000

- नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा 🦫 (i) (अनंतिम / रथायी)
- विलम्बित आवेदन के लिए नवीकरण फीस के साथ एजिस्ट्रीकरण (ii) (अनंतिम/स्थायी) कं नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 100/- रुपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की .जायेगी।
- प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रुपरं होगी। (iii)
- रथापन के स्वामितः पतंश और नाम के परिवर्तन के निए एकर (iv) 100/- रुपये होगी।
- अन्य अपील के लिए २कम 5000/- एपये होगी। $\langle v \rangle$

टिप्पणः यदि प्रयोगशाला या निदान केन्न बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देखरेख उपलब्ध करवाने वाले किसी स्थापन का भाग है तो किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।

> [संख्या प.16(5)चिस्वा/2/99pt] राज्यपाल के आदेश से, अल्पा चौधरी, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विमाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जंयपुर।

Department of Medical & Health (Group-2) Department NOTIFICATION

Jaipur, June 5, 2013

G.S.R. 16 - In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013.

(2) They shall come into force with immediate effect.

- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010;

(b) "Form" means form appended to these rules;

(c) "Schedule" means Schedule appended to these rules; and

(d) "Section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act. shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Conduct of business of State Council. (1) Every meeting of the State Council, constituted under section 8, shall be presided over by the Chairman.

(2) The meetings of the State Council shall ordinarily be held at Jaipur on such dates as may be fixed by the Chairman. The State Council shall meet at least once in three months.

(3) The notice and agenda of every meeting of the State Council shall be circulated by the Member Secretary to each member of the State Council ordinarily seven days before the meeting:

(4) The Chairman may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the State Council at the shortest notice, normally not less than three days.

(5) One-third of the total number of members of the State Council shall form a quorum and all actions of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

(6) The proceedings of the meetings of the State Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairman.

(7) A copy the minutes of each meeting of the State Council shall be submitted to the Chairman within seven days of the meeting and after having been approved by him/her shall be sent to each member of the State Council within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.

4. Conduct of business of District Registering Authority.

(1) Every meeting of the Authority, constituted under section 10. shall be presided over by the Chairperson.

(2) The notice and agenda of every meeting of the Authority shall be circulated by the Convener to each member of the Authority ordinarily seven days before the meeting.

(3) The Chairperson may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the Authority at the shortest notice, normally not less than three days.

(4) One-third of the total number of members of the Authority shall form a quorum and all actions of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.

(5) The proceedings of the meetings of the Authority shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairperson.

(6) A copy the minutes of each meeting of the Authority shall be submitted to the Chairperson by the Convener within seven days of the meeting and after having been attested by hint shall be sent to each member of the Authority within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.

5. Provisional registration. (1) The application for provisional registration shall be made to the Authority, constituted under section 10, in Form-1 along with the fee specified in

Schedule, either in person or by post or through web based online facility.

(2) The Authority shall not undertake any enquiry prior to the grant of provisional registration and shall within a period of ten days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a

certificate of provisional registration in Form-2.

(3) The Authority shall, within a period of forty-five days from the grant of provisional registration, publish, in two local newspapers and on the website of the Authority, all particulars of clinical establishment, so registered provisionally, including the name of the clinical establishment, address, ownership, name of person in charge, system of medicine offered, type and nature of services offered and details of the medical stuff (Doctors, Nurses, etc.).

6. Permanent Registration - (1) The application for permanent registration shall be made to the Authority, constituted. under section 10, in Form-3 along with the fee specified in Schedule, either in person or by post or through web based online facility with the necessary information filled and with evidence of having the requirements of minimum standards and personnel for

different categories of clinical establishments.

- (2) As soon as the clinical establishment submits the required evidence of having complied with the prescribed minimum standards, the Authority shall publish notice, in Form-4, in two local newspapers and on the website of the Authority, inviting Objection from public at large within a period of thirty days. Such notice shall contain all particulars of clinical establishment including the name of the clinical establishment, address, Givnership, name of person in charge, system of medicine offered, type and nature of services offered, details of the medical staff (Doztors, Nurses, etc).
- (3) If any person has any objection to the information published regarding the clinical establishment, he shall give in writing the reasons and evidence of objection or non-compliance to the Authority,
- (4) The Authority shall communicate to the clinical establishment the objections received, if any, for response within a period of forty five days.
- 7. Application for more than one category of services.-If a clinical establishment is offering services in more than one entegory as classified by the Central Government under sub-

section (1) of section 13 of the Act, it shall apply for a separate provisional or permanent registration for each category of services offered by the clinical establishment. However, if a laboratory or diagnostic center is a part of clinical establishment providing outpatient / inpatient care, no separate registration shall be required.

8. Acknowledgement of Application .- The Authority. constituted under section 10, or any officer/employee authorised by him, shall, acknowledge receipt of the application for grant/renewal of Provisional/Permanent registration, in the acknowledgement slip in Form-5, same day if submitted in person or not later than the next working day, if received by post and in case of online application, acknowledgement shall be generated

9. Certificate of registration .- (1) The Authority shall grant the applicant a certificate of permanent registration in Form-6 either by post or electronically after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria, including provisions of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment.

(2) In case of permanent registration, the Authority shall pass an order within the period allowed under section 29 of the Act,

(a) allowing the application for permanent registration; or

(b) disallowing the application:

· Provided that the authority shall record its justifications and reasons, if it disallows an application, for permanent registration.

10. Display of expired registration.- The Authority shall, within a period of fifteen days shall publish in two local newspapers and on the website of the Authority, the name of the clinical establishment whose Provisional or Permanent registration,

11. Fees to be charged.- (1) The various fees for provisional and permanent registration, renewal, late application, duplicate certificate, change of ownership, management or name of establishment shall be charged as specified in Schedule.

(2) The clinical establishments owned, controlled and managed by the Government (Central, State or Local Authority) or Department of Government, shall be exempted from payment of lees as mentioned in sub-rule (1).

(3) The fee shall be paid by a demand draft drawn ' online

of ſа

ent

iall

IV.

ed

or he

วเา

in

:d

11

10

٦.

d

n

transaction in favour of the Authority concerned as specified under sub-section (1) of section 14 or section 24 of the Act, as the case may be.

12. Change of ownership or management.- In the event of any change of ownership or management, the clinical establishment shall intimate to the Authority in writing withing one month of such change along with the fees as specified in Schedule and certificate, for grant of a revised certificate of Provisional or Permanent registration, as the case may be, incorporating the changes.

13. Duplicate certificate. In the event of certificate of registration Provisional or Permanent, as the case may be, being lost, destroyed, mutilated or damaged, the clinical establishment shall apply to the Authority to issue a duplicate certificate upon

payment of fees as specified in Schedule.

14. Renewal of Registration - (1) The clinical establishment shall apply for renewal of provisional registration thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the Authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal fee and late fee as specified in Schedule.

(2) The clinical establishment shall apply for renewal of permanent: registration six months before the expiry of the validity of the certificate of permanent registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the Authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal

fee and late fee as specified in Schedule.

Establishments.- (1) The clinical establishments shall maintain medical records of patients treated by it and health information and statistics in respect of national programmes and furnish the same to the Authorities. The minimum medical records to be maintained and nature of information to be provided by the clinical establishments shall be as per the formats developed by the National Council.

(2) Copies of all records and statistics shall be high by the Clinical establishment concerned at least for three years or in accordance with any other relevant law. All clinical establishments shall be responsible for submission of information and statistics in the time of emergency or disaster or epidemic situation.

(3) The Government may notify from time to time, the nature of information that needs to be furnished by the clinical establishments including other disease notified for this purpose along with the prescribed interval.

16. Power to Enter.- (1) Entry and search of the clinical establishment may be made by the Authority or an officer or team duly authorised by it or subject to such peneral or special orders, issued by the Authority.

(2) Such entry and search of clinical establishments may be made, if anyone is carrying on a clinical establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe that the clinical establishment is being used for purposes other than it is registered or contravenes any of the provisions of this Act and rules.

(3) The Authority or an officer or team duly authorised by it shall intimate the clinical establishment in writing about the date of visit and reasons for the inspection and shall examine all record, register, document, premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipments, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of the technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as they consider necessary to verify the statements made in the application for grant of certificate of registration.

(4) The inspecting officer or inspecting team, as the case may be, shall submit its report in Form-8, within a period of seven days of inspection, to the Authority, with a copy to the State Council, in case the inspection is made by the Authority, it shall submit inspection report within a period of seven days of inspection, to the State Council in Form-7.

17. Penalty.- For the purpose of adjudging monetary penalty under the Act, the Authority shall hold an inquiry and provide opportunity of being heard. While holding an inquiry the Authority shall summon and enforce the attendance of any person acquainted with the fact and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Authority, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry and if, on such inquiry, the Authority is satisfied that the person has failed to comply with the provisions of the Act and liable for monetary penalty, it may by order impose the monetary penalty specified in the Act.

राजस्थान राज-पत्र, जून ६, 2013 of 18. Appeals.- (1) Any person, aggrieved by an order of the Authority .-(i) refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking a certificate of registration, may file an appeal in Form-8 to the State Council within thirty days from the date of receipt of such order along with a fee as specified in Schedule. (ii) passed under section 41 or 42, may file an appeal in Form-8 to the State Council within a period specified in the said section along with a fee as specified in Schedule. (2) After receipt of the appeal, the State Council shall fix the time and date for hearing and inform the same to the appellant and other Soncerned by a registered letter giving at least fifteen days time for hearing of the case. (3) The appellant may represent by himself or authorised person or a Legal practitioner and submit the relevant documentary material if any in support of the appeal. (4) The State Council shall hear all the concerned, receive the relevant oral/documentary evidence submitted by them, consider the appeal and communicate its decision preferably within 90 days from the date of filing the appeal. (5) If the State Council considers that an interim order is necessary in the matter, it may pass such order, pending final disposal of the (6) The decisions of State Council shall be final and binding. Form -1 (See rule 5) Application Form for Provisional Registration of Clinical Establishments 1. Name of the Establishment/ Doctor (in case of single practitioner):____ 2. Address: Village/Town: _____ District: State: Pin code_ Tel No (with STD code): Mobile:

7).

al

se

al

133

s,

<u>27(24)</u> राजस्थान	राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (ग
Website (if any):	<u> </u>
3. Name of the owner: Address: Village/Town:	
Taluka:	District:
State:	D:
Tel No (with STD code): Email ID :	Mobile:
3a. Name of Person in charge	and Qualifications:
4. Ownership	*
(a)Public Sector: (a) (a)Public Sector: (a) (a) (a) (b) (b) (c) (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Central government State government Sector ler (please specify):
	dual Proprietorship Registered ed Company Co-operative haritable any other. (please
6. Services Provided: (please tick Inpatient Outpatient Centre any other (please specifical Category of Clinical Services) Specialty Multi Specialty 7. Type of Establishment: (please ti	Unani Siddha urropathy whichever is applicable) Laboratory Imaging y): vices: General Single y Super Specialty ck whichever is applicable)
(a) <u>Inpatient</u> :	J Community Health Centre

भाग ४ (ग) राजस्थान राज-पत्र, जून ६, २०१३	27(25)
c) Outpatient: Single practitioner Polyclinic Centre Physiotherapy Clinic Occupational The Infertility clinic Dental clinic Dispensary Centre Any other (please specify):	nerapy Dialysis
d) Laboratory: Pathology Hematology	у 🗖
Biochemistry Microbiology Genetics Centre Any other (please specify):	JCollection
e) Imaging Centre: please	·
specify: Special diagnostics: Please specify:	
i hereby declare that the statement, above are correct a the best my knowledge and sha abide by all the declarations under the Clinical E tablishment (Registr Regulation) Act, 2010. I undertal a that I shall intima appropriate registering authority my change in the Figure above.	rules and ation and ate to the
Date & Place: Signatur of the Authorized Sig	gnatory
Form 2 (See ru :-5)	
PROVISIONAL (ERTIFICATE FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISH	MENT
Provisional registration No: (Computer Generated)	
Date of issue: (Computer Generated)	
Valid up to: (Computer Generated)	
1. Name of the Clinical Establishment:	
2 Address:	
3. Owner of the Clinical Establishment:	
4. Name of Person in Charge, 2	
5. System of Medicine :	
6. Type of Establishment:	

राजस्थान राज-पन जून ६ २०१३

is hereby provisionally registered under the provisions Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

> of the Issuing Authority (Computer Generalect) Designation & Signature

District Registration Authority Place & Date: (Computer Generalect) Address:

Phone number in case of Grievances

Form -3 (See rule 6)

Application Form for Permanent Registration of Clinical

n .	section is nments	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Provisional Registra Date of issue of Pro-	ition No:	
Validan	Isional Registration	
1. Name of the Estal	blishment: / Doctor (in case o	
practitioner	Doctor (in case o	r single
Aaaress		•
Village/Town:		
ranika:		
State:	District:	
Tei No (with STD code;	Pin code	
Website (if any): 3. Name of the owner:	Mohiter	
Address:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	The same of the sa	
,		

(P	भूगा ± (ग) पानवशास गात-धन ातून 6 2013 27/27
of	Village/Town:
10	Taluka: District:
10	State: Pin code
	Tel No (with STD code):Mobile:
he	Email ID:
ne .	3n) Name of Person in charge and Qualifications:
nd	4. Ownership
	a) Public Sector: Central government State government
	Local government Public Sector Undertaking Any other
	(please specify):
i	b <u>) Private Sector</u> 🔲 Individual Proprietorship 🗖 Registered
re	Partnership Registered Company Co-operative Society C
:1)	Tryst/Charitable Any other (please specify):
	5. Systems of Medicine offered: (please tick whichever is
1)	applicable)
- 1	Allopathy Ayurveda Unani Siddha Homeopathy
Ì	☐ Yoga & Naturopathy
1	6. Services Provided: (please tick whichever is applicable)
	☐ Inpatient ☐ Outpatient ☐ Laboratory / Imaging Centre☐ Any
1	Other (please specify):
	a) Category of Clinical Services: General Single Specialty
	司 Stulti-Specialty-Super Specialty-
	7. Type of Establishment: (please tick whichever is applicable)
	21) inpatient: Hospital Nursing Home Maternity Home
1	Primary Health Centre Community Health Centre
! .	Sanatorium Day Care centre
ĺ	b) Number of Beds:
<u>.</u>	e) Outpatient: Single practitioner Polyclinic Sub-Centre
1	Physiotherapy Clinic Occupational Therapy Infertility
į	Clinic Dental clinic Dispensary Dialysis Centre Any
	Other (please specify):
:	d) Laboratory: Pathology Haematology Biochemistry
	Microbiology Genetics Collection Centre Any other
	(please specify):
	* Incore specify
•	e) <u>Imaging Centre:</u> please
	Specify:
	Special diagnostics: Please specify:
	- Learning and a second and a second as a

I hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and shall abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010. I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Detail information:-Any complain and adverse report by inspection team after issue of Provisional Registration.

Enclosed: Photo copy of Provisional Registration.

Date & Place:

Signature of the Authorized Signatory

Form -4 (See rule 6) Notice

Display of registration status for filing objections

received	during the period.	considering	nder the Clinica! the applications
Establishm Clinical Es made theiru within the ju	nents (Registration	ng the provisions & Regulation) Act stration & Regulation	of the Clinical
eriai Name no. Clinica Establia nt address	of Ownership S I In charge n	vstem och	ont ategory standards complied with
Objections if an duplicate to	y, in writing to the	above list may be a	ldressed in

Place: Date:		Signature:
Jaic.	(Seal o	Name: of the authority)
a and a second	Form -5 (See rule 8)	
	.CKNOWLEDGEMENT I OF CLINICAL ESTABLI	SHMENT
REGISTRATION The application i Provisional / Per Establishment sub (Name and address)	n Form for Grant / manent registration of omitted by of Owner) has been received	Renewal of the Clinical
REGISTRATION The application i Provisional / Per Establishment sub (Name and address a Registration Author	n Form for Grant / manent registration of omitted by of Owner) has been received	Renewal of the Clinical by the District
The application in Provisional / Per Establishment sub (Name and address of Registration Author to be	n Form for Grant / manent registration of omitted by of Owner) has been received	Renewal of the Clinical by the District

Place & Date: (Computer Generated)

Form -6 (Sec rule 6)

Designation & Signature of the Issuing Authority (Computer Generaled,

PERMANENT CERTIFICATE
FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

*27(30)

Permanent Registration No: (Computer Generated) Date of issue: (Computer Generated) Valid up to: (Computer Generated) 1. Name of the Clinical Establishment: 2. Address: 3. Owner of the Clinical Establishment: 4. Name of Person in Charge: 5. System of Medicine: 6. Type of Establishment: is hereby permanently registered Establishments (Registration and Regulation) Act. 2010 and the Rules made there under. This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act. 2010 and the Rules made there under.

> Designation & Signature of the Issuing Authority (Computer Generaled)

Place & Date: (Computer Generated) District Registration Authority Address:

Phone number in case of Grievances Form -7 (See rule 16)

Format for Submission of Inspection Report

Number of visits made with dates

Names and details of members of the inspection team

Name of clinical establishment visited

Address and contact details of clinical establishment visited

Process followed for inspection (e.g. kindly outline who was met with, what records were examined, etc)

ıe

ie

d

i) That my application was rejected

Date: Place:

ii) That my registration is cancelled

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013

Salient Observations / Findings Conclusions

Specific Recommendations:

- (1) To the Clinical Establishment
- (2) To the District Registering Authority

*In case of lack of consensus amongst members of the inspection team, the same may be kindly indicated

> Signature (of all members of the inspection team)

Form -8 (See rule 18) Application for Appeal

The State Council. Government of Sir. I. Dr..... of had applied for registration / holder of registration certificate number under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act. 2010. my I was communicated by the district authority as per letter no. dated that either:

	राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (ग) restrained from carrying on with the running of establishment thanged with a penalty for an offence under the
v) Amother	
I request you to cor mentioned below:	of the district authority appears to be not valid. asider my application as per the justifications
ii)	
iii)	
mine to appe	ear before you for a personal hearing, if ng herewith a draft of Rs. 5000/-
Date:	Signature:
	Name:
•	SCHEDULE

SCHEDULE (See rule 11)

Description Out Patie Care	100	Fees to be	ile 11) Charged Rural Provisional 50)		Metro () Provision 200	
In Patien Care; I io 30beds 30 to 100 beds Above-100 beds	200 300	500 1000 1500	50 100 150	250 500 650	300 -100 600	100 100 200 300
Testing & Diagnostic: Laboratories Diagnostic & Imaging Centre	200 300	1000 1500	100 150	500 650	400 600	20t 30t

27(32) राजस्थान राज	T 1707		-
	1 -पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (ग)	•	
m) that I am restrained fro	om carrying on with the running of		
clinical establishmen	l	•	
	penalty for an offence under the		٠
Act	penalty for an offence under the		•
v) Any other	••••		• .
The above decision of the district	authority appears	Andrews of the	and the state of t
I request you to consider my	tionority appears to be not valid.	•	
I request you to consider my app monlinned below;	dication as per the justifications		
i)		•	•
		' .	
ii) iii)			
I am willing to appear before yo	Six		
Decessary Lam enclosing t	ou for a personal hearing, if		
necessary. I am enclosing herewith a	draft of Rs. 5000/-		
Thanking you,			4.4
Place:	0:		
Date:	Signature:		
	Name:		

SCHEDULE (See rule 11)

-	Description Out Typa Care	tient	Urban Provisjonal 100	Permanent 500	Rural	Permanent 250	Metro Provisions 200	ni Permanent 1000
-	The Par Care: 1 to 30beds 30 to 100 bed Above 100 be	J.5	100 200 00	500 1000 1500	50 100 150	250 500 650	200 400 600	1000 2000 3000
	Testing Diagnostic:	ዯ	· The state		ر پر محد در در در در			
	Laboratories	ی.	200 300	1000 1500	100	500	400	2000

300

1500

150

650

600

3000

Imaging Centre

Other Fees:

For Renewal half the amount of registration fee (i) (Provisional / Permanent)

For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 100/-(ii) per day late fee upto the date of filling application for renews of the registration (Provisional / Permanent) shall

For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 200/-(iii)

For change of ownership, management or name of (iv) establishment, the amount shal, be Rs. 100/. (v)

For any appeal the amount shal, be Rs. 5000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate

> No प. .16 (5) चिस्वा /2/99 Pt.] By Order of the Governor, अल्पा चौधरी, Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.



राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन २६, मंगलवार, शाके 1936—मार्च 17, 2015 Phalguna 26, Tuesday, Saka 1936—March 17,2015

> भाग 4 (ग) उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2015

जी.एस.आर. 63:— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान र्विदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015 है।
 - (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 1 का संशोधन.— राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 1 के उप—नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकार" हटाई जायेगी।
- 3. नियम 7 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 7 में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के पश्चात्, निम्नलिखित अभिव्यवित जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

''आवेदत एकले खिड़की सामर्थ्यकारी प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त और निस्तारित किये जा सकेंगे।''

4. नियम 8 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 8 में, विद्यमान का कि अभिव्यक्ति । 'प्रकर्ष-इं 'में'' अभिस्वीकृति । पेचीं' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'प्रकर्ण-इं में सम्यक् रूप से भरी हुयी अभिस्वीकृति पर्चीं' प्रतिस्थापित की जाशेमी।

5. नियम 10 का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"10. रजिस्ट्रीकरण् के अवसान के बारे में सूचना.— प्राधिकरण नैदानिक स्थापन को, उसके अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख के बारे में, प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के माध्यम से सूचित करेगा। ऐसी सूचना, अनंतिम रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दशा में अवसान की तारीख से तीस दिन पूर्व और स्थायी रिजस्ट्रीकरण की दशा में अवसान की तारीख से छह मास पूर्व प्रकाशित की जायेगी।"

- 6. नियम 11 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 11 के विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नुलिखित नया उप-नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-
- "(4) सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी कर और फीस इत्यादि नैदानिक स्थापन द्वारा संदत्त किये जायेंगे और नैदानिक स्थापन की स्थापना के पश्चात्, यदि कर या फीस इत्यादि की कोई अतिरिक्त रकम संदेय है तो प्राधिकरण ऐसे कर या फीस इत्यादि के संदाय में समन्वय करेगा।"
- 7. नियम 15 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 15 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
- "(3) राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अन्य बीमारी को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना की प्रकृति, समय-समय पर, अधिसूचित कर सकेगी। ऐसी सूचना, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति और अंतरालों के भीतर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।"
- 8. प्ररूप-5 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप—5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

'प्ररूप-5 (नियम 8 देखिए)

अभिस्वीकृति नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण

जिला रिकस्ट्रीकरण ब्राधिकरण द्वारा दिनांकको., ------(स्वामी का नाम और पता) द्वारा प्रस्तुत नैदानिक स्थापन अनुदत्त करने/अनंतिम/स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप......में आवेदन प्राप्त किया गया तथा

पूर्ण

या

अपूर्ण

पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण के फेलए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम।

जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित) मुहर

रसीद संख्यांक : स्थान, तारीख और समय (कम्प्यूटर जनित)"

9. अनुसूची का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अनुसूची (नियम 11 देखिए) भारित की जाने वाली फ

प्रमास्ति का र नगरीय				महानगर	
अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	ं अनंतिम	स्थायी
	200		100	100	500
		:			
	_4.9	in the second se	.100	100	500
100	500	50	250	200	1000
200	1000	100	300	300	1500
	नग	नगरीय अनंतिम स्थायी	नगरीय ग्राम अनंतिम स्थायी अनंतिम — 200 — — 200 —	नगरीय ग्रामीण अनंतिम स्थायी अनंतिम स्थायी — 200 — 100 — 200 — 100	नगरीय ग्रामीण मह अनंतिम स्थायी अनंतिम स्थायी अनंतिम — 200 — 100 100 — 200 — 100 100 100 500 50 250 200

- (i) नवीकरण के लिए रिजस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा (अनंतिम/स्थायी)
- (ii) विलम्बित आवेदन के लिए, नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण (अनंतिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 50/— रूपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की जायेगी।
- (iii) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रूपये होगी।
- (iv) स्थापन के स्वामित्व, प्रबंध और नाम के परिवर्तन के लिए, रकम 100/- रूपये होगी।
- (v) अन्य अपील के लिए रकम 1000 / रूपये होगी।

टिप्पण:

यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी / अंतरंग रोगी देखरेख उपलब्ध करवाने वाले किसी स्थापन का भाग है तो किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।"

> [संख्या प. 16(5) चिस्वा / 2 / 99 पार्ट] राज्यपाल के आदेश से, महावीर सिंह, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

Jaipur, March 16, 2015

G.S.R. 63.— In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan

Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Clinical Establishment (Registration and Regulation) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of the Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013, hereinaster referred to as the said rules, the existing expression "Government" shall be deleted.

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules, after the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the following expression shall be added, namely:-

"Applications may also be received and disposed off through signal window clearance system."

- 4. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules, for the existing expression "the acknowledgement slip in Form-5", the expression "the duly filled in acknowledgement slip in Form-5" shall be substituted.
- 5. Substitution of rule 10.- The existing rule 10 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-
- "10. Information about expiry of registration.- The Authority shall inform through notice published on web site of the Authority inform the clinical establishment about date of expiry of its Provisional or Permanent registration, as the case may be, Such iranormation shall be published, in case of Provisional Registration Certificate thirty days before date of expiry and in case of Permanent registration six months before the date of expiry".
- 6. Amendment of rule 11.- After the existing sub-rule (3) of rule 11 of the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-
- "(4) All tax and fee etc. imposed by the Government or any other local authority shall be paid by the Clinical Establishment and after establishment of Clinical Establishment, if any additional amount of tax or fees etc. is payable, the Authority shall coordinate in payment of such tax or fees etc."
- 7. Amendment of rule 15.- The existing sub-rule (3) of rule 15 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-
- "(3) The State Government may notify, from time to time, the nature of information required to be furnished by the Clinical Establishments including other disease notified for this purpose.

Such information shall be uploaded on the web site of the department in the manner and with in such interval as may be specified by the State Government."

8. Substitution of Form-5.- The existing Form-5 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

> ''Form _5 (See rule 8)

ACKNOWLEDGEMENT

REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT The application in Form ___ for Grant / Renewal of Provisional Permanent registration of the Clinical Fstablishment submitted by Owner) has been received by the District Registration Authority on (date) and found to be Complete

Or

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

> Designation & Signature of the Issuing Authority (Computer Generated) SEAL

Receipt number:

Place, Date and Time: (Computer Generated)"

9. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE (See rule 11)

Description	l	Urban	Fees to Urban	be Chai Rural	rged Rural	Metro	Metro
	tient		n Permane) -nt 200	Provisiona	iPermanent	Provisional	-ent
Care In Patient Control I to 30beds 30 to 100 bed Above 100 be	s	100	200 500 1000	50 100	100 250 300	100 200 300	500 500 1000 1500
Testing Diagnostic: Laboratories Diagnostic Imaging Centre	&	100 200	500 1000	50 100	250 300	200 300	1000 1500

Other Fees:

- (i) For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)
- (ii) For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 50/per day late fee upto the date of filling application for
 renewal of the registration (Provisional / Permanent) shall
 be charged.
- (iii) For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 100/-.
- (iv) For change of ownership, management or name of establishment shall be Rs. 100/-.
- (v) For any appeal the amount shall be Rs. 1000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate registration is required.

[No. F. 16(5) चिस्वा/2/99पार्ट] By Order of the Governor, महावीर सिंह,

Joint Secretary to the Government.